



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



मनोज कुमार, भा०प्र०से०
कार्यपालक निदेशक

संचिका संख्या : SHSB/GA/HR/3328/2018/P-1

आदेश सं०: 4525

पटना, दिनांक: 22/09/2020

-:आदेश:-

विज्ञापन संख्या 05/2019 के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधीन FEEDING DEMONSTRATOR (NRC) के संविदागत रिक्त पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को, उनके द्वारा योगदान करने की तिथि से क्रमशः एकमुश्त मानदेय रू० 12,000/- प्रतिमाह पर नियोजित करते हुए उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित जिले में पदस्थापित किया जाता है:-

क्र०	रौल नम्बर	अभ्यर्थी का नाम	चयनित कोटि	पदस्थापन जिला
1	2	3	4	5
1	4137869	SMRITI RAJ	UR	PURNIA
2	4198001	PUTUL KUMARI	UR	KISHANGANJ
3	4137719	AKASH KUMAR	UR	WEST CHAMPARAN
4	4198010	MD NIZAMUDDIN KHAN	UR	BHAGALPUR
5	4198077	JYOTI KUMARI	UR	ROHTAS
6	4198014	KAJAL	UR	GAYA
7	4137716	VEENA MURMU	UR	JAMUI
8	4198021	RASHMI KUMARI	UR	GOPALGANJ
9	4137773	NEHA KUMARI	UR	NALANDA
10	4137871	CHITRA MISHRA	UR	SHEOHAR
11	4137771	ANAMIKA KUMARI	UR	MUZAFFARPUR
12	4197992	SWEETY KUMARI	UR	SUPAUL
13	4137787	NIKHAT PARWEEN	UR	VAISHALI
14	4197908	PRIYA KUMARI	UR	MADHEPURA
15	4137842	SIMRAN RAJ	UR	SIWAN
16	4197917	MADHU KUMARI ROY	UR	PATNA
17	4197966	PUJA KUMARI	UR	SAMASTIPUR
18	4137689	KHUSHBOO KUMARI	UR	BHOJPUR
19	4198119	PRIYANKA KUMARI	UR	SITAMARHI
20	4137828	PRATIKSHA KUMARI PANDEY	UR	JEHANABAD
21	4198004	JYOTI KUMARI	UR	EAST CHAMPARAN
22	4137851	MINAKSHI KUMARI	UR	SHEIKHPURA
23	4137860	ANANYA	UR	DARBHANGA
24	4197946	MAMTA TIRKEY	UR	KHAGARIA
25	4137729	RACHANA BHARTI	UR	MUNGER
26	4137683	MITHUN RAM	UR	NAWADA
27	4198057	INDRANU BHARTI	UR	ARARIA
28	4137793	RANI KUMARI	UR	KATI HAR
29	4198116	PRIYA BARA	UR	BEGUSARAI





2. उपर्युक्त सभी नवचयनित अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि :-
- दिनांक 30/09/2020 तक अपने नाम के सामने स्तंभ-5 में अंकित पदस्थापन जिला में अपना योगदान देना सुनिश्चित करें। उक्त तिथि तक योगदान नहीं देने की स्थिति में अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता समाप्त की जा सकती है।
 - सभी संबंधित नवचयनित अभ्यर्थियों के पूर्ववृत्त एवं शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्रों का सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। यह संविदागत नियोजन उक्त सत्यापन/जाँच प्रतिवेदन के फलाफल से प्रभावित होगा। योगदान के समय अपना सभी वांछित मूल प्रमाण-पत्र संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति के समक्ष समर्पित करेंगे, जहाँ सभी मूल प्रमाण-पत्रों की जाँच सक्षम प्राधिकार के द्वारा की जायेगी। जाँचोपरान्त कोई त्रुटि/गलती पाये जाने पर अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जायेगी।
 - योगदान के पश्चात् Non Judicial स्टाम्प पेपर पर राज्य स्वास्थ्य समिति (सक्षम प्राधिकार) के साथ एकरारनामा करेंगे।
 - यदि सरकारी सेवा में हैं या किसी अन्य सरकारी संस्थान में कार्यरत हैं अथवा अनुबंध पर कार्यरत हैं, तो उन्हें अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा उनके नियोजन का दावा रद्द कर दिया जाएगा।
 - यह नियोजन पूर्णतः संविदा के आधार पर सम्प्रति अधिकतम 11 (ग्यारह) माह के लिए होगा। नवनियोजित अभ्यर्थियों के संतोषप्रद कार्य के आधार पर अगले 60 (साठ) वर्ष की आयु तक के लिए या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत RoP में उक्त पद की स्वीकृति होने एवं राशि की उपलब्धता होने तक (इनमें से जो भी पहले हो) अथवा सक्षम स्तर से निर्णय के अनुरूप संविदा अवधि का विस्तार किया जा सकेगा।
 - चयनित अभ्यर्थियों का नियमितीकरण अथवा पुनर्नियोजन हेतु कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
 - पदस्थापन जिला में योगदान करने एवं प्रभार ग्रहण करने अथवा एकरारनामा करने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
 - उक्त पदाधिकारियों का नियोजन इस शर्त पर किया जाता है कि यदि उनके पूर्ववृत्त का सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल होगा तथा प्रमाण-पत्रों एवं अभिलेखों के जाँच के क्रम में गलत सूचना पायी जायगी, तो उनका नियोजन बिना किसी पूर्वसूचना के समाप्त कर दिया जायगा एवं उनके विरुद्ध आवश्यक विधिसम्मत कार्रवाई भी की जायेगी।
 - सभी नवनियोजित FEEDING DEMONSTRATOR (NRC) को एकमुश्त मानदेय रू० 12,000/- (बारह हजार रुपये मात्र) प्रतिमाह का भुगतान संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति (DHS) से किया जाएगा।
3. सभी संबंधित सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति नवचयनित अभ्यर्थियों के योगदान के तुरंत बाद, उनसे कार्य लेना प्रारंभ कर देंगे, ताकि जनहित में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करायी जा सके। उक्त अनुपालन की सूचना अनिवार्य रूप से इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

ह०/-

(मनोज कुमार)





राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



ज्ञापांक: SHSB/GA/HR/3328/2018/P-I/.....⁴⁵²⁵ पटना, दिनांक: 22/09/2020

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ।

प्रतिलिपि: अपर कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: सभी संबंधित जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: सभी संबंधित क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: सभी संबंधित सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: प्रशासी पदाधिकारी/उप सचिव-सह-प्रभारी, मानव संसाधन/अपर निदेशक (वित्त)/राज्य कार्यक्रम प्रबंधक/, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, NRC, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: सिस्टम एनालिस्ट-सह-डाटा ऑफिसर, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं समिति के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: सभी संबंधित नवचयनित अभ्यर्थियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। यह आदेश राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना के अधिकृत वेबसाइट www.statehealthsocietybihar.org पर भी देखा जा सकता है एवं डाउनलोड कर इसे व्यवहार में लाया जा सकता है।

कार्यपालक निदेशक

